हस्तक्षेप जिला प्रशासन उच्च न्यायालय एवं एनजीटी को कर रहा गुमराह

मुख्य सचिव से देवी तालाब मामले में हस्तक्षेप की मांग

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट नगर के हृदयतल में स्थित शासकीय देवी तालाब की बेशकीमती भूमि जिसका अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1 हजार करोड़ रूपए है उक्त भूमि को भू-माफियाओं के चुंगल से मुक्त कराने एवं राजस्व अभिलेखों की त्रुटी को सुधार कर अतिक्रमण मुक्त एवं संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय जबलपुर एवं एनजीटी भोपाल में दायर याचिका में मध्यप्रदेश शासन एवं कलेक्टर बालाघाट की ओर से सत्य, वास्तविक तथा पूर्ण जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में याचिकर्ताओं की ओर से मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर मांग की गई उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर एवं एनजीटी भोपाल में शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्य, वास्तविक एवं पूर्ण जवाब प्रस्तुत करने की मांग की गई है ।

क्या है मामला

बालाघाट नगर के शासकीय देवी तालाब की भूमि जो पटवारी हल्का क्रमांक 13/2 में स्थित है जिसका खसरा न. 319, रकबा 16.14 एकड़ है जो राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1985 के बाद से राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के कारण निजी स्वामित्व में दर्ज है द्य जिसके सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में पूर्व की त्रुटि को सुधार कर कुल शासकीय भूमि का कुल रकबा 16.14 एकड़ में से 16.11 एकड़ को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका क्रमांक ड्ढक्र/22409/2024 प्रस्तुत की गई है द्य उक्त याचिका की सुनवाई कर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने दिनांक 21/08/2024 को आदेश जारी कर शासन से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश किया था द्य जिसे मध्यप्रदेश शासन / कलेक्टर बालाघाट के प्रतिनिधि ने दाखिल नहीं किया, जिस पर पुनः न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.11.2025 को आदेश जारी कर 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किये गए, जिस पर मध्यप्रदेश शासन / कलेक्टर बालाघाट के प्रतिनिधि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालाघाट श्री गोपाल सोनी के द्वारा शपथ पत्र के साथ प्रथम आदेश के लगभग 16 महीनों के बाद दिनांक 09/01/2026 को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है द्य

क्यों दायर की याचिका

उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका तत्कालीन तहसीलदार बालाघाट श्री रामबाबू देवांगन के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से शासकीय देवी तालाब के मालिकाना हक में प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में की गई जांच के प्रतिवेदन के आधार पर की गई थी द्य उक्त जांच प्रतिवेदन तत्कालीन तहसीलदार श्री रामबाबू देवांगन के द्वारा दिनांक 26.02.2020 को तत्कालीन कलेक्टर को भेजकर यह अनुसंशा की थी शासकीय देवी तालाब की भूमि जिसका खसरा न. 319 रकबा 16.14 एकड़ है, के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में 123 बटांकन हो चुके है उसमे से 2 को छोड़कर शेष 121 बटांकन में शासन का नाम दर्ज करना उचित होगा द्य किन्तु तत्कालीन कलेक्टर कलेक्टरों के द्वारा राजस्व अभिलेखों में त्रुटी सुधार न करते हुए उक्त शासकीय भूमि पर शासन का नाम दर्ज नहीं किया गया जिसके कारण उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी द्य

भू-माफियाओं एवं राजस्व विभाग का षडयंत्र

बालाघाट नगर के पटवारी हल्का क्रमांक 13/2, खसरा न. 319, रकबा 16.14 एकड़ शासकीय देवी तालाब की भूमि को बालाघाट तहसील के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों, पूर्व मालगुजार के वारसानों एवं ऋषभ डेवलपर्स बालाघाट के भागीदारों (भू-माफियाओं) द्वारा द्वारा साठ-गाठ कर राजस्व अभिलेखों में निजी हक में दर्ज कर मध्यप्रदेश शासन की लगभग 1000 करोड़ रूपए की बेशकीमती जमीन की अफरातफरी की है द्य उक्त शासकीय भूमि के लगभग 5.50 एकड़ भूमि पर शॉपिंग मॉल के साथ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाएं गए है एवं लगभग 1.50 एकड़ भूमि पर मिट्टी-मुरुम का भराव कर समतल भूमि बनाया गया है तथा शेष लगभग 9 एकड़ भूमि पानी से भरी हुई है द्य पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषित एवं अतिक्रमण कर शासकीय देवी तालाब के अस्तित्व को मिटाने व उस पर भौतिक रूप से काबिज होने का षडयंत्र चल रहा है द्य जिसके कारण शासकीय देवी तालाब लगातार प्रदूषित एवं अतिक्रमित होकर अपने अस्तित्व को खोते जा रहा है द्य

देवी तालाब का न्यायालयीन इतिहास

शासकीय देवी तालाब के मालिकाना हक के सम्बन्ध में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 28-ए/1971, न्यायालय जिला न्यायाधीश बालाघाट का व्यवहार अपील क्रमांक 4-अ/1972 एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वितीय व्यवहार अपील क्रमांक 119/1974 एवं 120/1974 ने उमराव बी (पूर्व मालगुजार की पत्नी) के पक्ष में पटवारी हल्का क्रमांक 13/2 खसरा नंबर 319 की 16.14 एकड़ भूमि में से 1 एवं 2 (कुल 3 डिसमिल) डिसमिल भूमि का मालिकाना हक निर्धारित कर चूका है एवं शेष भूमि अर्थात 16.11 एकड़ भूमि को मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में घोषित किया है किन्तु बालाघाट तहसील के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश जिसमे खसरा नंबर 319 की 16.14 एकड़ भूमि में से 1 एवं 2 (कुल 3 डिसमिल) डिसमिल भूमि की डिक्री पारित की थी उसके स्थान पर भू-माफियाओं से सांठगाठ कर सम्पूर्ण भूमि अर्थात 16.14 एकड़ भूमि उमराव बी के वारसानों के नाम पर दर्ज कर दी जिसके बाद उमराव बी के वारसानों द्वारा ऋषभ डेवलपर्स के भागीदारों (डॉ. ऋषभ कुमार जैन, पूरनकुमार अडवाणी एवं महेंद्र सुराना) को उक्त बेशकीमती शासकीय भूमि को विक्रय कर दिया गया ।

उच्च न्यायालय में एसडीएम का जवाब

उच्च न्यायालय जबलपुर में मध्यप्रदेश शासन / कलेक्टर बालाघाट के प्रतिनिधि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालाघाट श्री गोपाल सोनी के द्वारा शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट में मात्र न्यायालय को यह बताया गया है कि पटवारी हल्का क्रमांक 13/2 में स्थित खसरा न. 319, रकबा 16.14 एकड़ वर्ष 1985 तक मध्यप्रदेश शासन की शासकीय भूमि रही है एवं वर्ष 1985 के बाद निजी हक में दर्ज है किन्तु उनके द्वारा न्यायालय को यह नहीं बताया जा रहा है कि वर्ष 1985 के बाद उक्त शासकीय भूमि, निजी स्वामित्व की कैसे हो गई और किन-किन राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त शासकीय भूमि, निजी स्वामित्व की हो गई और यह भी नहीं बताया गया है कि पूर्व में उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा अतिक्रमणकारी के 1 एवं 2 (कुल 3 डिसमिल) डिसमिल का निर्माण शासकीय देवी तालाब की पार पर होने के कारण उसके पक्ष में मात्र 1 एवं 2 (कुल 3 डिसमिल) डिसमिल भूमि की डिक्री की थी न की सम्पूर्ण 16.14 एकड़ शासकीय भूमि की उसके पक्ष में डिक्री थी द्य इस प्रकार से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालाघाट श्री गोपाल सोनी का उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश शासन / कलेक्टर बालाघाट की ओर से प्रस्तुत जवाब भ्रामक है जो उच्च न्यायालय को भ्रमित करने एवं भू-माफियाओं को लाभ पहुचाने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है द्य वही एनजीटी भोपाल में भी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालाघाट श्री गोपाल सोनी ने मध्यप्रदेश शासन / कलेक्टर बालाघाट की ओर से प्रस्तुत शासकीय देवी तालाब की भूमि को निजी स्वामित्व की भूमि बताया है ।

सुरवाही रेत घाट पर चार ट्रेक्टर जब्त

नवभारत, परसवाड़ा । तहसील परसवाड़ा के ग्राम सुरवाही से रेत का अवैध खनन कर परिवहन किए जाने कि सूचना पर परसवाड़ा के बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता के निर्देश पर एसडीएम श्रीश प्यासी ने संयुक्त टीम के साथ अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रेक्टर ट्राली पर कार्यवाही की है।

परसवाड़ा एसडीएम श्रीश प्यासी ने बताया कि लगातार शिकायत है आ रही थी कि घाट पर रेत का अवैध खनन जारी है तो हमने मौके पर पहुंचकर एक रेत भरे ट्रेक्टर ट्राली को जब्त किया गया है और रेत की ट्राली जो उपस्थित पाई गई उन पर जब्ति बनाकर उस पर हम कार्यवाही कर रहें हैं। घाट पर काफी उत्खनन हो चुका है खनिज विभाग से सहयोग लेकर उनकी भी जांच कर रहे हैं। उन पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि बैहर पुलिस अभिरक्षा में चार ट्रेक्टर खड़े कराए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जिनकी भूमि पर रेत घाट से रेत निकाल कर अवैध रूप से डंप किया जा रहा है उसके उपर भी कार्यवाही की जाएगी ।

आदिवासी गोवारी समाज का वार्षिक मिलन समारोह धूमधाम से मनाया

अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग फिर उठी

नवभारत, परसवाड़ा। प्रति वर्ष की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम लिंगा में आदिवासी गोवारी समाज का वार्षिक मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। परसवाड़ा के नव-निर्मित समाज भवन में बैठक आयोजित की गई। समारोह की शुरुआत गोवारी समाज द्वारा बाजे-गाजे, पारंपरिक नृत्य एवं वेशभूषा के साथ परसवाड़ा नगर में भव्य रैली निकालकर की गई, जिसने नगरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। रैली के पश्चात ग्राम लिंगा में खिला मुठवा मैदान में मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में युवा समाजसेवी रामेश्वर कटरे, विशिष्ट अतिथि मलाजखंड पार्षद मधु शेन्दरे एवं देवेंद्र ऐडे तथा बैहर तहसील अध्यक्ष मेहतलाल वाघाड़े, बिरसा अध्यक्ष जियालाल सोनवाने और समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मंचीय कार्यक्रम में समाज के वक्ताओं ने एक स्वर में गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग दोहराई। वक्ताओं ने कहा कि गोवारी समाज सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सभी पात्रताएं रखता है, इसके बावजूद शासन द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से वंचित रखा गया है। समाज अपने अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रखेगा। मुख्य अतिथि रामेश्वर कटरे ने कहा कि गोवारी समाज को आरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है।

भालू के हमले से दो लोग गंभीर घायल

लालबर्रा। लालबर्रा वन परिक्षेत्र दक्षिण सामान्य अंतर्गत ग्राम बोरी के परसाटोला में 21 जनवरी बुधवार को भालू के हमले से एक महिला और पुरूष गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को एवं 50 वर्षीय व्यक्ति को ग्रामीणों के सहयोग से 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया। जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए भालू के हमले से घायल दोनों महिला व पुरुष को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है।

अनुभूति कार्यक्रम का हुआ आयोजन

नवभारत, परसवाड़ा। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के तत्वाधान मे उत्तर सामान्य वन मण्डल बालाघाट के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी उत्तर सामान्य श्रीमान रेशम सिंह धुर्वे प्रभारी वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र दक्षिण लामला सामान्य के द्वारा दिनांक 21/01/2026 को चाचेरी बीट नहरा नदी मे अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम मे श्री शंकर लाल बिसेन जनपद उपाध्यक्ष लघु वनोपज शिवकुमार पन्द्रे संघ बालाघाट सर्वप्रथम हाईस्कूल समनापुर हाई स्कूल मगरदर्रा एव माध्यमिक शाला आमगांव टिटवा से आये बच्चो को स्वल्पाहार कराकर पक्षी दर्शन के बाद बनाई गई ट्रेल पर बच्चो को वृक्षो के वनस्पतिक नाम एव औषधीय वृक्षो के बारे मे अवगत कराया गया बाद वन्यजीव बाघ तेन्दुआ के पदचिन्ह एव विष्ठा से अवगत कराया गया वनो कि सुरक्षा कार्यो जैसे पत्थर चेक डेम ब्रशवुड चेक डेम , अग्नि सुरक्षा के बारे मे बच्चो को अवगत कराया गया जानकारी मास्टर ट्रेनर अनीष चाल्स जी वन विभाग कि तरफ से मास्टर ट्रेनर श्री नरेन्द्र बंसोड एव वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी श्री शिवमपुरी गोस्वामी वनक्षेत्र पाल परिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र सहायक समनापुर कंचन खण्डागले परिक्षेत्र सहायक चाचेरी गजेन्द्र बिसेन परिक्षेत्र सहायक मगरदर्रा श्री रूपसिंह परते परिक्षेत्र सहायक लामता दिनेश बरिये एव परिक्षेत्र का वन अमला वन रक्षक श्री निरज खटीक तुलसीदास तिवारी दीपक सेंगर राजा मेरावी देवाशू यादव रजत बोपचे आशीष नेहर यश भैरम मानेन्द्र पटेल श्रीमति दिशा दमाहे श्री गिरीश चौहान दिलिप बान्ते जय चौरसिया अफजल कुरैशी हिमांशू डहरवाल अंकित बानेवार राहूल श्रीवास्तव ईमरान कुरैशी कमल किशोर पाण्डेय आरीफ खान सुरक्षा सहयोगी श्री मंगल प्रसाद ऐडे दीनदयाल पटले भीवराम पटले सुरेन्द्र बिसेन साकेश जैतवार मुरलेश पारधी कृष्णमुरारी कुतराहे प्रवीण मर्सकोले राजू पन्द्रे शिक्षा विभाग से श्रीमति ज्योति चौधरी रत्ना श्याम आशा तुरकर राधिका श्रीवास्तव आशा पालीवाल टोपेन्द्र राहगडाले अर्जुन सिंह उइके शेख ऐजाज स्वास्थ विभाग से केशवराव पहले परिक्षेत्र कार्यालय स्टाफ श्रीमति रेखा भलाव वनपाल देवेन्द्र बोपचे वाहन चालक मोहम्मद शाजीद खान का अनुभूति कार्यक्रम को सफल बनाने मे विशेष योगदान रहा।

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों व असहाय खाताधारकों के लिए बैंक की नई सुविधाजनक नीति लागू

नवभारत, बालाघाट। जनता की सुविधा, सम्मान और समान अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं असहाय खाताधारकों के लिए एक नई विशेष नीति लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर ग्राहक को बिना किसी भेदभाव के सरल, त्वरित और संतोषजनक बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त हो सकें।

नई व्यवस्था के तहत बैंक की प्रत्येक शाखा में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्राथमिकता काउंटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही शाखाओं में बैठने की समुचित व्यवस्था, पीने का पानी, रैम्प तथा व्हीलचेयर से प्रवेश जैसी सुविधाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। एटीएम सुविधाओं में भी विस्तार किया गया है। क्लासिक कार्ड धारकों को 3 मुफ्त लेन-देन एवं 40 हजार रुपए तक नकद निकासी की सुविधा मिलेगी, वहीं प्लेटिनम कार्ड पर 5 मुफ्त लेन-देन एवं 01 लाख रुपए तक नकद निकासी की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए एटीएम में रैम्प एवं व्हीलचेयर अनुकूल व्यवस्था के साथ दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु बोलने वाले एटीएम और ब्रेल कीपैड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

घर पर बैंकिंग सेवा के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा गंभीर रूप से बीमार या दिव्यांग ग्राहकों को शाखा से 3 किलोमीटर के दायरे में नकद जमा-निकासी, डिमांड ड्राफ्ट, जीवन प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ घर बैठे उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके अलावा सेवा शुल्क में भी विशेष छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 25 हजार रुपए तक की दो रेमिटेंस/कलेक्शन निःशुल्क मिलेंगी। पासबुक, स्टेटमेंट, चेकबुक, स्टॉप पेमेंट जैसी सेवाओं पर 50 प्रतिशत छूट तथा लॉकर किराए में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों के खातों पर न्यूनतम बैलेंस की कोई शर्त नहीं होगी और दृष्टिबाधित व दिव्यांग ग्राहकों के लिए ऋञ्जतर, ह्श्वस्नञ्ज एवं डिमांड ड्राफ्ट पर शुल्क पूर्णतः माफ रहेगा।

शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत प्रत्येक शाखा में शाखा प्रबंधक को दिव्यांग ग्राहकों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

हल्दी कुमकुम के माध्यम से महिलायें करती है सुहाग की मंगलकामनायें : स्मिता जायसवाल

नवभारत, वारासिवनी। वारासिवनी नगर के गांधी बाल उद्यान में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मंगलवार के दिवस बड़े स्तर पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता प्रदीप जायसवाल व समस्त महिला मोर्चा पदाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में नगर सहित क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिन्हें वान और हल्दी कुमकुम भेटकर उनके सुहाग की दीर्घायु व सदा सुहागन होने की कामना की गयी।

विदित हो की मकर संक्रांति पर्व के साथ त्योहारों की शुरुआत हो गई है। बालाघाट जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है इसलिए यहां पर भी हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम महिलाएं मकर संक्रांति के पश्चात आयोजित करती हैं। जो पूरे महीने चलता है। महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर तिलगुड़ खिलाकर शादीशुदा महिलाओं को सुहाग की चीजें जैसे कंगन,कुमकुम, बिंदी और फुल इत्यादि वस्तु भेंट में दिये जाते है। इसी तरह काफी उत्साह के साथ यह हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में नगर व क्षेत्र की महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज करवायी। जहां हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के पश्चात विभिन्न खेल प्रतियोगिता, नृत्य व गीत प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई गई। जिसमें उपस्थित महिलाओं के द्वारा बढ चढ़कर भाग लिया गया। इन प्रतियोगिता मे सफल प्रतियोगीयो को पुरस्क्रत भी किया गया।

चर्चा में श्रीमती स्मिता जायसवाल ने पूछे जाने पर बताया कि हमारे द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन परम्परा अनुसार किया गया है। इसके माध्यम से सभी महिलायें सुहाग की मंगलकामनायें करती है। साथ ही सभी महिलाओं को इस दिन का इंतजार भी रहता है। जिसमें सभी महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाकर वान स्वरूप सुहाग से संबधित अनेको भेट भी प्रदान की गयी। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है। गौरतलब है की दिनभर उद्यान में सभी वर्ग, समाज की लगभग एक हजार महिलाओं के आने का सिलसिला भी देखा जाता रहा।

दीदी के यहां जाने का कहकर ली कार हड़पी

जबलपुर। दीदी के यहां जाने का कहकर कार मालिक से कार लेकर ड्राईवर ने हड़प ली। गोरखपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अमानत में ख्यानत का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि राजभान जायसवाल 46 वर्ष निवासी सेठी नगर ने लिखित शिकायत की कि वह गाडियों को टैक्सी में चलवाता है। तीन माह पहले उसने योगेश वर्मा पिता तुलसी दास वर्मा निवासी बाल गंगाधर तिलक वार्ड पन्ना मोड मुंडवारा को ग्यारह हजार रूपये महीने वेतन पर ड्राइवरी के लिए रखा थ। काम पर रखने से पहले उसे सिक्योरिटी के तौर पर अपना आधार कार्ड और ड्राईविंग लाइसेंस दिया था और उसकी गाडी चलाने लगा लगभग एक महीने योगेश ने उसकी गाडी क्रमांक एमपी 20 टीए 1802 मारूती सुजूकी आल्टो चलाया था। 15 नवंबर 2025 को शाम 06 बजे योगेश ने कहा की अपनी दीदी के यहां जा रहा हूँ और ऑल्टो की चाबी उसे दे दी और उसके घर पर बनी किराने की दुकान में गेट के पास मारूती सुजूकी की सिफ्ट डिजायर क्रमांक एमपी 20 जेड ए 5698 की चाबी रखी थी जिसे लेकर चला गया कुछ दिन इंतजार करने के बाद योगेश गाडी लेकर नहीं आया उसने योगेश से कार के बारे मे पूछा तो बताया कि रांझी में अपनी दीदी के यहां है वापस आकर गाडी दे देगा। इसके बाद उसने योगेश को कॉल किया तो उसका फोन नहीं उठाया, बार बार कॉल किया तो योगेश ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। ड्राईवर योगेश दीदी के यहां जाने का बोलकर उसकी कार लेकर गया जो आज दिनांक तक वापस नहीं किया है। पुलिस ने आरोपी योगेश वर्मा पिता तुलसीदास वर्मा निवासी बाल गंगाधर तिलक वार्ड पन्ना मोड मुड़वारा जिला कटनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

परेशानी आमजनों के साथ व्यापारी हो रहे परेशान

चेक क्लीयरिंग में अभी भी लग रहे दो से तीन दिन

जबलपुर, नवभारत। आमजनों को सहूलियत देने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम को तेज़ और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया था जिसके तहत 4 अक्टूबर से नया चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू हो गया था। पहले जहां चेक कों क्लियर होने में 2 से 3 दिन तक का वक्त लगता था, वहीं अब इस प्रक्रिया में कुछ ही घंटों में चैक उसी दिन क्लियर हो जायेगा। इस नई व्यवस्था का नाम कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट था। इसमें बैंक आपके चेक को स्कैन करेंगे और उसकी डिजिटल कॉपी सिस्टम में भेज देंगे। हर घंटे बैंकों के बीच सेटलमेंट होगा और ज्यादातर मामलों में उसी दिन शाम तक पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अगर संबंधित बैंक शाम 7 बजे तक जवाब नहीं देता, तो चेक ऑटो-अप्रूव हो जाएगा। यह सिस्टम एक साथ तमाम बैंको में लागू होना था अधिकांश बैंको नें तो इसे लागू कर दिया बस पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों कों इसे लागू करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो नियम के बिल्कुल उलट इन बैंकों की अधिकांश शाखाओं में क्लियरिंग सर्वर में अपडेट की दुहाई देते हुए और भी ज्यादा विलम्ब होने की क्षमा माँग ली जाती है। साथ में सम्बंधित अधिकारी इस मुद्दे में कुछ बोलने से भी कतराते है।

व्यापारियों को होता नुकसान

इस तरहा नियम के लागु हो जाने ने बावजूद भी लेट लतीफी करने का रवैया अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब चैक को क्लियर होने में पहले से भी ज्यादा समय लगने लगा है और बैंक शाखा के लोग स्पष्ट जवाब देने के जगह बात को घुमा फिरा के कस्टमर के सामने पेश कर रहे है जिससे सब से ज्यादा व्यापारियों और आम जनता को नुकसान हो रहा है। इससे शहर के उन तमाम छोटे-बड़े व्यापारों को क्षति हो सकती है जो बैंकिंग के लिये इन तमाम बैंकों पर भरोसा करते है, क्योंकि इस व्यवस्था को पटरी पर लाने में कितनी देरी लगेगी, इसका कोई जवाब अधिकारीयों के पास नहीं है।

6 .50 लाख के जेवरात चोरी

सीसीटीव्ही कैमरे में कैद वारदात, नौकरानी पर शक

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक घर से 6 लाख 50 हजार रूपए के जेवरात चोरी गए। वारदात सीसीटीव्ही कैमरे में कैद हो गई है। जिसमें नौकरी सूटकेश, अलमारी खोलते हुए दिखाई दी है। पुलिस के मुताबिक मयंक सिंह ठाकुर निवासी गंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी ससुराल दुर्गा कॉलोनी संजीवनीनगर में है। सासू मां कौश्लया दांगी की तबियत खराब रहती है, जिस कारण से उसकी पत्नि नेहा ठाकुर अपने मायके दुर्गा कालोनी में आती जाती रहती है। सास की देखभाल के लिए नौकरानी मनीषा कहार को रखा गया है। पत्नि ने अपने सोने चांदी के जेवरात सूटकेश में रखे हुये थे एवं कुछ जेवरात लोहे की आलमारी में रखे हुये थे, तथा मेरी सास का पुराना सोने चांदी के जेवर पहले से ही अलमारी एवं सूटकेश में रखे थे। पत्नि नेहा ठाकुर ने बताया कि उसके सोने चांदी के जेवरात सूटकेश एवं अलमारी में रखे थे वो जेवरात चोरी हो गये हैं, तब मै दुर्गा कालोनी अपनी ससुराल गया तो शंका हुई कि कोई घर के अंदर घुसकर चोरी किया तो बैडरूम में जहां सोने चांदी के जेवरात रखे थे,उस कमरे में सीसीटीव्ही कैमरा लगाया था, जिसमें रिकार्डिग देखने पर नौकरानी मनीषा कहार कमरे में सामान अलमारी एवं सूटकेश को खोलते हुए दिख दे रही है। करीब 6.50 लाख रूपये के जेवरात चोरी गए है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर संदेही नौकरी से पूछताछ शुरू कर दी है।